पत्रांक–13 / अ० आँ० यो० 04–05 / 2025– 129 /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार। *****

पटना, दिनांक– 05/10/2026 /

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2026–27 में राज्य स्कीम के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से जोड़ने एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये उपबंधित राशि कुल ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश सं०–02 दिनांक–10.04.2026 एवं 78 दिनांक–10.08.2026 से स्वीकृत एवं विमुक्त ₹235.235 करोड रुपये के उपरान्त अवशेष राशि में से ₹86.0251 करोड़ (छियासी करोड़ दो लाख एकावन हजार) की सहायक अनुदान वेतन मद में निकासी एवं विमुक्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित, दलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से जोड़ने एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जाना है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत मद में मूल बजट उपबंध ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये मात्र का है। उपबंधित राशि के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश सं०–02 दिनांक–10.04.2026 एवं 78 दिनांक–10.08.2026 के द्वारा कुल–₹235.235 करोड (दो अरब पैतीस करोड़ तेईस लाख पचास हजार) की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के परामर्शानुसार विपत्र कोड–21-2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष–31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन में उपबंधित राशि से वर्णित विपत्र कोड के विषय शीर्ष–31.04 में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹86.0251 करोड़ (छियासी करोड़ दो लाख एकावन हजार) रु० मात्र उपबंध वित्त विभाग की सहमति से प्राप्त किया गया है। तदालोक में पुनर्विनियोग

2

के माध्यम से उपबंधित राशि ₹86.0251 करोड़ (छियासी करोड़ दो लाख एकावन हजार) रु० मात्र के सहायक अनुदान वेतन मद में निकासी एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य के सभी 20 हजार महादलित टोलों, अतिपिछड़ा वर्ग एवं 10 हजार तालीमी मरकजों में इन समुदायों की 15–45 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है तथा प्रति वर्ष 06–14 आयु वर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत लाभों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत इन्हें ई० पी० एफ० का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त की जाने वाली राशि **₹86,02,51,000 /- (छियासी करोड़ दो लाख एकावन हजार) रुपये** के व्यय विकलन वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, 04–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 789–अनुसूचित जातियों के लिये विकास कार्य योजना (डीएपीएससी), उप शीर्ष 0101–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–21–2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष–31.04 सहायक अनुदान–वेतन अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि निदेशक, जन शिक्षा, बिहार के निस्ताराधीन होगी। वित्त विभाग के पत्र संख्या–1720/वि० दिनांक 08.03.2021 की कंडिका–02 के तहत स्वीकृत राशि की निकासी जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा CFMS प्रणाली के द्वारा की जायेगी। इसके अन्तर्गत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) Approver के रूप में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का मानदेय एवं एस० आर० पी० एवं के० आर० पी० के अनुश्रवण/प्रबोधन की राशि, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय/लम्बित मानदेय की राशि सीधे सम्बन्धितों के बैंक खातों में Payee ID के माध्यम से अन्तरित करेंगे। मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक (लेखा), जन शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा द्वारा की जायेगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र CFMS प्रणाली के अन्तर्गत महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने की जबावदेही संगत जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) की होगी। किसी भी परिस्थिति में एक मुश्त राशि की निकासी कर अनावश्यक रूप से राशि को बैंक खातों में Park नहीं किया जाएगा।

4. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग की संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के कंडिका–3 और कंडिका–05 (ख) (ii) के आलोक में राज्य द्वारा प्रायोजित चालू स्कीम के अन्तर्गत की जा रही है।
8. इस स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹361.90 करोड़ (तीन अरब एकसठ करोड़ नब्बे लाख) रुपये बजट उपबंध उपलब्ध है।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि०/2 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. CFMS प्रणाली के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
11. महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025 के पृष्ठ संख्या–72/टि० पर प्राप्त है।
13. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका सं0–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025 के पृष्ठ सं0–71/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह०/–

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025...../ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025...../ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–05, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जन शिक्षा (दो प्रतियों में) में को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025...../ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना शाखा/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना/साक्षरता)/उप निदेशक, जन शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–13/अ० आँ० यो० 04–05/2025.....129...../ पटना, दिनांक–05/10/2026

प्रतिलिपि :– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.10.26
सरकार के उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–13/अ० आँ० यो० 04–04/2026 940 /

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विजय कुमार (भा० प्र० से०),
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता),
बिहार।

पटना, दिनांक– 05/10/2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत व्यय हेतु राशि की विमुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या–12888/वि० दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–05 (ख) (ii) एवं पत्र संख्या–1720/वि० दिनांक 08.03.2021 की कंडिका–02 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार स्वीकृत्यादेश सं०–02 दिनांक–10.04.2026, स्वीकृत्यादेश सं०–78 दिनांक–10.08.2026 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–129 दिनांक–05.10.2026 के तहत स्वीकृत राशि से जिला स्तर पर कुल–**86,02,40,200/- (छियासी करोड़ दो लाख चालीस हजार दो सौ)** रुपये मात्र आवंटित की जाती है (अनुलग्नक–01)। राशि की निकासी एवं भुगतान सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा उनके जिले के नाम के सामने अंकित राशि की निकासी CFMS प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। **86,02,40,200/- (छियासी करोड़ दो लाख चालीस हजार दो सौ)** रुपये (अनुलग्नक–01) का व्यय मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, 04–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 789–अनुसूचित जातियों के लिये विकास कार्य योजना (डीएपीएससी), उप शीर्ष 0101–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–21–2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष–31.04 सहायक अनुदान–वेतन मद से की जायेगी।

2. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

3. इसकी सूचना सभी जिलों के सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को भी दी जा रही है।

4. CFMS प्रणाली के अंतर्गत व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाए।

5. उक्त राशि CFMS प्रणाली द्वारा सम्बन्धित ज़िले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को (अनुलग्नक–01) के रूप में आवंटन देने हेतु बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को दी जा रही है।

अनु०:– विवरणी संलग्न।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक–13/अ० आँ० यो० 04–04/2026.....940...../ पटना, दिनांक..05/10/2026

प्रतिलिपि :– विवरणी की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/योजना शाखा एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जन शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay Prabhat

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत मदवार राशि की विवरणी (2026-27)

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, 04–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 789–अनुसूचित जातियों के लिये विकास कार्य योजना (डीएपीएससी), उप शीर्ष 0101–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–21–2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष–31.04 सहायक अनुदान–वेतन

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की सं०	कार्यरत के.आर.पी. की संख्या	कार्यरत एस.आर.पी. की सं०	कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	मानदेय शिक्षा सेवकों एवं शिक्षा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) (कॉलम सं०–03 में अंकित जिले के केन्द्रों की संख्या X रु० 24255 X माह जून के लिए)	मानदेय शिक्षा सेवकों एवं शिक्षा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) (कॉलम सं०–03 में अंकित जिले के केन्द्रों की संख्या X रु० 25468 X माह जूलाई के जिए)	डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय (13000/- प्रतिमाह X 2 माह)	अनुश्रवण		आवंटित राशि का कुल योग
									के.आर.पी. प्रबोधन भत्ता (कॉलम सं०–04 में अंकित जिले के संख्या के अनुसार X रु० 500 X प्रतिमाह 20 दिन X 2 माह)	एस०आर०पी० प्रबोधन भत्ता (कॉलम सं०–05 में अंकित जिले के संख्या के अनुसार X रु० 800 X प्रतिमाह 15 दिन X 2 माह)	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	14	15	19
1	पटना	990	10	0	0	24012450	25213320	0	200000	0	**49425770**
2	भोजपुर	983	10	1	1	23842665	25035044	26000	200000	24000	**49127709**
3	बक्सर	129	8	0	1	3128895	3285372	26000	160000	0	**6600267**
4	रोहतास	945	12	1	1	22920975	24067260	26000	240000	24000	**47278235**
5	कैमूर	292	6	0	1	7082460	7436656	26000	120000	0	**14665116**
6	नालंदा	528	10	1	1	12806640	13447104	26000	200000	24000	**26503744**
7	मुंगेर	678	5	0	1	16444890	17267304	26000	100000	0	**33838194**
8	लखीसराय	196	5	0	0	4753980	4991728	0	100000	0	**9845708**
9	जमुई	950	4	1	1	23042250	24194600	26000	80000	24000	**47366850**
10	शेखपुरा	277	3	0	0	6718635	7054636	0	60000	0	**13833271**
11	खगड़िया	668	0	0	1	16202340	17012624	26000	0	0	**33240964**
12	बेगूसराय	387	10	1	1	9386685	9856116	26000	200000	24000	**19492801**
13	नवादा	520	4	0	1	12612600	13243360	26000	80000	0	**25961960**
14	गया	2169	19	0	1	52609095	55240092	26000	380000	0	**108255187**
15	जहानाबाद	228	6	0	1	5530140	5806704	26000	120000	0	**11482844**
16	अरवल	86	1	0	1	0	2190248	26000	20000	0	**2236248**
17	औरंगाबाद	1356	1	0	1	32889780	0	26000	20000	0	**32935780**
18	सीवान	288	0	0	1	0	7334784	26000	0	0	**7360784**
19	सारण	250	1	0	1	0	6367000	26000	20000	0	**6413000**
20	गोपालगंज	267	2	0	1	6476085	6799956	26000	40000	0	**13342041**
21	बांका	684	6	0	1	16590420	17420112	26000	120000	0	**34156532**
22	भागलपुर	657	3	0	1	15935535	16732476	26000	60000	0	**32754011**
23	कटिहार	1438	10	0	1	0	36622984	26000	200000	0	**36848984**
24	किशनगंज	694	3	0	1	0	17674792	26000	60000	0	**17760792**
25	अररिया	971	3	0	1	0	24729428	26000	60000	0	**24815428**
26	पूर्णिया	811	10	0	1	0	20654548	26000	200000	0	**20880548**
27	वैशाली	237	11	1	1	0	6035916	26000	220000	24000	**6305916**
28	मुजफ्फरपुर	715	9	0	1	0	18209620	26000	180000	0	**18415620**
29	सीतामढ़ी	381	15	1	1	0	9703308	26000	300000	24000	**10053308**
30	शिवहर	101	1	0	1	0	2572268	26000	20000	0	**2618268**
31	पू० चम्पारण	1332	0	0	1	0	0	26000	0	0	**26000**
32	प० चम्पारण	985	0	0	1	0	25085980	26000	0	0	**25111980**
33	समस्तीपुर	1462	10	1	1	0	37234216	26000	200000	24000	**37484216**
34	दरभंगा	713	11	0	1	0	0	26000	220000	0	**246000**
35	मधुबनी	1563	14	0	1	0	0	26000	280000	0	**306000**
36	सहरसा	376	2	1	1	0	9575968	26000	40000	24000	**9665968**
37	सुपौल	254	4	1	1	0	6468872	13000	80000	24000	**6585872**
38	मधेपुरा	663	5	0	1	0	16885284	13000	100000	0	**16998284**
कुल		**26224**	**234**	**10**	**35**	**312986520**	**541449680**	**884000**	**4680000**	**240000**	**860240200**

940
05/10/2026

अपर सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।